रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/98 REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 1998/भाद्र 9, 1920
No. 337] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 1998/BHADRA 9, 1920

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय

(विधि कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 1998

सा. का. नि. 547(अ).— केन्द्रीय सरकार, नोटरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटरी (संशोधन) नियम, 1998 है ।

(2) ये नियम 8 जुलाई, 1997 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे ।

2. नोटरी नियम, 1956 के प्ररूप II-ख में "पांच वर्ष" शब्दों के स्थान पर "तीन वर्ष" शब्द रखे जाएंगे ।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

प्रत्येक नोटरी उस तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए व्यवसाय करने के लिए प्राधिकृत है, जिसको नोटरी अधिनियम, 1952 की धारा 5 के खंड (1) के उपखंड (ख) के अधीन उसे प्रमाणपत्र जारी किया जाता है । तथापि, सा.का. नि. 370(अ) तारीख 8-7-97 द्वारा प्रकाशित नोटरी (संशोधन) नियम, 1997 में "तीन वर्ष" की अवधि के स्थान पर अनबधानतावश "पांच वर्ष" का उल्लेख हो गया है । इसे मूल अधिनियम के अनुरूप करने के लिए विद्यमान नियमों में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

[फा. सं. 5(15)/94-जुडि']

शिव प्रकाश, अपर सचिव

पाद टिप्पण :— मूल नियम का. नि. आ. 324, तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और समय-समय पर संशोधित किए गए थे । ऐसा अन्तिम संशोधन का. नि. आ. 370(अ) तारीख 8 जुलाई, 1997 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF LAW

(Department of Legal Affairs)

NONTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 1998

G.S.R. 547(E).—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes following rules further to amend the Nofaries Rules, 1956, namely :—

1. (1) These rules may be called the Notaries (Amendment) Rules, 1998.

(2) These rules shall be deemed to have come into force on the 8th day of July, 1997.

2. In the Notaries rules, 1956, in Form II-B, for the words "five years" the words "three years" shall be substituted.

Explanatory Memorandum

Every notary is authorised to practise for a period of three years from the date on which the certificate is issued to him under sub-clause (b) of clause (1) of section 5 of the Notaries Act, 1952. However, in the Notaries (Amendment) Rules, 1997 published vide G.S.R. 370(E) dated 8-7-97, the period of "three years" has been inadvertantly mentioned as "five years". To bring the rules in tune with the principal Act, it is proposed to amend the existing rules with retrospective effect.

[F. No. 5(15)/94-Judl.]

SHIV PRAKASH, Addl. Secy.

Foot Note :—The principal rules were published in the official Gazette vide S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and was amended from time to time. The last such amendment was made vide G.S.R. 370(E) dated 8th July, 1997.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1998